प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 06/11/2026

भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोपीगंज पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर पकड़ा 1118 किलोग्राम (11 क्विंटल 18 किलोग्राम) अवैध बारूदयुक्त पटाखों का जखीरा, गोदाम सील

घटना का संक्षिप्त विवरण

श्री अभिनव त्यागी , पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आगामी त्योहारों के मद्देनजर चेकिंग के दौरान थाना गोपीगंज पुलिस व राजस्व टीम (तहसीलदार औराई) द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। ग्राम अमवामाफी उग्रसेनपुर स्थित एक बंद गोदाम का ताला तोड़कर तलाशी ली गई, जहाँ बिना लाइसेंस के अवैध रूप से भंडारित 1118 किलोग्राम बारूदयुक्त पटाखे (कुल 33 गत्ते) बरामद हुए। घनी आबादी में अवैध रूप से खतरनाक पटाखों का भंडारण कर लोगों का जीवन संकट में डालने के अपराध में पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखों को कब्जे में लेकर थाना गोपीगंज पर अभियुक्त रामचंद्र गुप्ता (पुत्र अज्ञात), निवासी: खरहट्टी मोहल्ला, कस्बा गोपीगंज, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9B के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

बरामदगी का विवरण:-

कुल 1118 किलोग्राम अवैध बारूदयुक्त पटाखे।

(बरामद पटाखों में बुलेट बम, मिनी बम, हाइड्रो बम, चटाई, कृष्णा छाप जवान फुलझड़ी, मोरी छाप लगेन रॉकेट, चंद्रमा बैग, मिसाइल आदि विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित व अवैध पटाखे शामिल हैं)।

पूछताछ का विवरण:-

स्थानीय आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उक्त मकान/गोदाम रामचंद्र गुप्ता का है, जो उसने अपनी लड़की के नाम पर लिया है, परंतु इसका पूरा संचालन व देखभाल स्वयं रामचंद्र गुप्ता ही करता है। वह आगामी त्योहारों के सीजन में अत्यधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से घनी आबादी वाले क्षेत्र में बिना किसी वैध लाइसेंस के इन खतरनाक पटाखों का थोक भंडारण व चोरी-छिपे अवैध क्रय-विक्रय कर रहा था।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री राहुल सिंह (तहसीलदार, औराई - राजस्व टीम)

2. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव (थाना गोपीगंज, भदोही)

3. उ0नि0 नथुनी यादव/नथूनी सिंह (थाना गोपीगंज, भदोही)

4. का० भैयालाल (थाना गोपीगंज, भदोही)

5. का० रमेश कुमार (थाना गोपीगंज, भदोही)

6. म०का० आकांक्षा देवी (थाना गोपीगंज, भदोही